अनुसूची 21–प्रपत्र संख्या–113

सम्पत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र सं0 1614 20 19 आवेदन संख्या 1611 20 19

चूँकि D.M. construction, Bhagalpur ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के सम्बंध में निबन्धित संव्यवहारों अवभरो का सविचरण प्रमाण–पत्र दिया जाय। कार्ड – रामप्यारी देवी

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मै इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियो में ता0 2009 20 से ता0 8/11/19 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद कोई संव्यवहारों और अवभारों का पता नही चला है–

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षकारों का नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्दस	वर्ष	पृष्ठ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	मोहल्ला नयाबाजा वार्ड 20 7/20	9.11.19	खाता – 447 क्षेत्र – 685 Kh, kh रकबा – 0.1805 Hectare					

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1 बंधक–पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हों।

2 पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवेभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण–पत्र तैयार किया :–

(हस्ताक्षर) चन्द्रशेखर

(पदनाम) U.D.C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण–पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :–

(हस्ताक्षर) Mara

(पदनाम) U.D.C

कार्यालय :– जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर

तारीख :– 9.11.19

मुहर

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

9.11.19

टिप्पणी :–

(1) X इन प्रमाण में जो संव्यवहार और अवभार लिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो वैसी दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजक्शड) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) X निबंधित अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (एन्डवाइस) की प्रतिलिपियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणि उनके सामने रख दी जायेगी।

(3) ✓ किन्तु चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिये किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(4) X और चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाश स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढुंढे गये संव्यवहारों की सत्यापन के प्रमाण–नत्र में दिया गया है इसलिये विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवारी न होगा जिससे उक्त व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है।

पत्रांक– 1614 दिनांक– 9.11.19

शाखा प्रबंधक DM constructions Bhagalpur के पत्र दिनांक ––––– के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

9.11.19